प्रकरण संख्या: 20/2017
जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 बनाम विमलेश कंवर व अन्य
निर्णय दिनांक: 21.10.2022

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :– 20/2017
दायर दिनांक :– 13.04.2017
निर्णय दिनांक :– 21.10.2022

## उनवान

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जरिए विन्नी टी.ए. उपप्रबंधक जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जवाहरलाल नेहरू मार्ग गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर जिला जयपुर।

प्रार्थी

## बनाम

1. विमलेश कंवर बेवा विशालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बीचलवास तहसील दौसा।
2. सुमेरसिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बीचलवास तहसील दौसा व दौसा।
3. कमलसिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बीचलवास तहसील दौसा व दौसा।
4. मगनसिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बीचलवास तहसील दौसा व दौसा।
5. मन्जू पुत्री विशालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बीचलवास तहसील दौसा व दौसा।
6. विजयलक्ष्मी पुत्री विशालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बीचलवास तहसील दौसा व दौसा।
7. भगवानसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बीचलवास तहसील दौसा व दौसा।
8. हनुमानसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बीचलवास तहसील दौसा व दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

## प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 20/2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड है, जो कि दुग्ध उत्पादन कर दुग्ध का व्यवसाय करती है। ग्राम बीचलवास की राजस्व सीमा में भूमि खसरा नम्बर 156, 157, 158 कुल किता 3 रकबा 1.58 है0 स्थित है, जिसके साविक खसरा नम्बर 40 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा था। जिसके पूर्व खातेदार मेघसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी बीचलवास थे, जो कि अप्रार्थी संख्या–01 लगायत 08 के पूर्वज थे। दिनांक 26.08.1977 को खातेदार मेघसिंह पुत्र गोविन्दसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सम्पूर्ण भूमि का बेचान प्रार्थी के हक में कर विक्रय मूल्य 10200/– रूपये प्राप्त कर उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 06.09.1977 को पुस्तक संख्या–01 जिल्द संख्या–61 पृष्ठ संख्या–231 क्रम संख्या 331 पर पंजीबद्व किया गया तथा पूरक पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या–73 के पृष्ठ संख्या 319 से 325 पर सम्मिलित किया गया तथा इसी भूमि के लगते हुए दौसा की राजस्व सीमा में स्थित साविक खसरा नम्बर 1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि को उसके खातेदार जौहरीलाल, राधेश्याम, रामेश्वरलाल महाजन निवासी मानगंज दौसा ने जरिये पंजीकृत दान पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:45:59 IST
Reason: SelfAttested

लगातार....2....

प्रार्थी जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को दे दी थी। इस प्रकार प्रार्थी ने उक्त सम्पूर्ण भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर डेयरी प्लान्ट स्थापित किया तब से उक्त भूमि डेयरी प्लांट के रूप में काम आ रही है तथा प्रार्थी उक्त भूमि एक मात्र स्वामी है। उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के पक्ष में तत्समय नहीं किया गया। समय-समय पर प्रार्थना पत्र देने के बावजूद तहसीलदार दौसा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, अपितु उक्त भूमि के पूर्व खातेदार मेघसिंह की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या-01 लगायत 08 के नाम खोल दिया गया। अप्रार्थीगण अपने नाम के हो रहे अवैध खातेदारी अंकन के आधार पर प्रार्थी को आराजी वादग्रस्त से बेदखल करने व आराजी का दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिससे बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस प्रमाणित है। सुविधा सन्तुलन की तुला भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द फरमावें कि वे आराजी खसरा नम्बर 156, 157, 158 कुल किता 3 कुल रकबा 1.58 है० वाके ग्राम बीचलवास का किसी दीगर को रहन बय हस्तान्तरण करने व प्रार्थी के कब्जे उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने व प्रार्थी के डेयरी प्लान्ट में किसी भी प्रकार की तोडफोड करने व क्षति कारित करने से स्वयं अथवा अपने रिश्तेदारों नौकरों सहयोगियों कर्मचारियों आदि के द्वारा हर प्रकार से अस्थाई रूप से प्रतिबन्धित रहें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। अप्रार्थीगणों की तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में बहस एक पक्षीय सुनी गई। प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रश्नगत भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है तथा तब से उक्त भूमि डेयरी प्लांट के रूप में ही काम आ रही है। प्रार्थी काबिज मालिक एवं खातेदार है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सम्बन्ध में तथ्य निम्न प्रकार है:-

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>:- पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.40 है० व खसरा नम्बर 158 रकबा 1.12 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.54 है० अप्रार्थी संख्या-01 लगायत 08 के नाम दर्ज रिकार्ड है। (प्रार्थी की ओर से उक्त भूमि का कुल रकबा 1.58 है० अंकित किया गया है, किन्तु उसे साबित करने हेतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। उपलब्ध दस्तावेज में कुल रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:48:59 IST
Reason: SelfAttested

लगातार......3.....

1.54 है0 अंकित है) प्रार्थी की ओर से अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.08.1977 को खातेदार मेघसिंह पुत्र गोविन्दसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रश्नगत भूमि का बेचान प्रार्थी के हक में कर विक्रय मूल्य 10200/– रूपये प्राप्त कर उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 06.09.1977 को पुस्तक संख्या–01 जिल्द संख्या–51 पृष्ठ संख्या–231 क्रम संख्या 331 पर पंजीबद्व किया गया तथा पूरक पुस्तक संख्या–01 जिल्द संख्या–73 के पृष्ठ संख्या 319 से 325 पर सम्मिलित किया गया। किन्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति अधूरी ही पेश की गई है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है तथा क्रय करने का कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी अपना पक्ष साबित करने में विफल रहा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलनः–</u> प्रार्थी की ओर से यह संभावना व्यक्त की गई है कि अप्रार्थीगण अपने नाम के हो रहे अवैध खातेदारी अंकन के आधार पर प्रार्थी को आराजी वादग्रस्त से बेदखल करने व आराजी का दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तान्तरण करने पर आमादा है। किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती हो। प्रार्थी अपना पक्ष साबित करने में विफल रहा है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होता है।

3. <u>अपूर्णीय क्षतिः–</u> प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

ग्राम बीचलवास तहसील दौसा की जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 का खाता संख्या 101 खसरा नम्बर 156 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.40 है0 तथा खसरा नम्बर 158 रकबा 1.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.54 है0 विमलेश कंवर बेवा विशाालसिंह, सुमेरसिंह कमलसिंह मगनसिंह पि0 विशालसिंह, कु0 मन्जू, कु0 विजयलक्ष्मी पुत्री विशालसिंह हि.1/3, भगवानसिंह हनुमानसिंह पि. मेघसिंह हि. 2/3 कौम राजपूत सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की ओर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति भी अधूरी ही पेश की गई है। प्रार्थी अपना पक्ष साबित करने में असफल रहा है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:46:59 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
दौसा (राज.)